अध्याय - 8

अप्रवासी भारतीयों के साथ विवाह

प्रीती के माता-पिता बहुत खुश थे । प्रीती को एक ऐसे लड़के के परिवार से विवाह का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जो अमेरिका में रह रहा था । अन्ततः किसी अप्रवासी लड़के से अपनी पुत्री का विवाह करने का उनका सपना पूरा हो रहा था । यह उनके परिवार के लिए मात्र एक प्रतिष्ठा चिन्ह ही नहीं था बल्कि यह आश्वासन भी था कि प्रीती भविष्य में अमेरिका नामक एक जादुई धरती पर खुशहाल तथा समृद्ध जीवन व्यतीत करेगी। जब मीरा दीदी उनसे मिलने गई तो विवाह की तैयारियां पूरे जोर-शोर से चल रही थी। उन्हें भी प्रीती के लिए उतनी ही खुशी थी। उसी समय उन्होंने उसके माता-पिता से आवश्यक सावधानियां बरतने और अपनी पुत्री का विवाह किसी अप्रवासी भारतीय दुल्हे के साथ करने और फिर अपनी पुत्री को एक विदेशी धरती पर भेजने से पूर्व आवश्यक पूछताछ करने के लिए कहा । उन्होंने अप्रवासी भारतीयों के साथ विवाह के संबंध में यह बताया था ।

कुछ राज्यों में माता-पिता द्वारा अपनी पुत्री का विवाह अप्रवासी भारतीयों के साथ करना आम व्यवहार है, जिसके लिए मान्यता यह है कि ऐसे वर न केवल आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे जो उनकी पुत्रियों को आराम, विरासिता तथा समृद्ध की समृद्धि से परिपूर्ण एक जीवन जीने में सफल बनाएगा बल्कि उनके परिवारों को भी वित्तीय सहायता मुहैया करवाएगा और उनके परिजनों के लिए भी विदेशों में नए अवसर मिलेंगे।

व्यवहार में इनमें से कई विवाह विफल होते हैं और लड़कियों हेतु जीवन भर समस्याएं उत्पन्न करते हैं क्योंकि -

(1) लड़के तथा उसके परिवार के पूर्व चरित्र की जाँच नहीं की गई होती है।

(2) ऐसे मामले होते हैं जब लड़का अपनी कानूनी स्थिति के संबंध में लड़की के माता-पिता को झूठी जानकारी देता है और अपने रोजगार के सम्बन्ध में एक गलत तस्वीर पेश करता है ।

(3) ऐसे पति जो अपनी पत्नियों को विदेश ले गए हैं, उन्होंने उसे एक छोटी सी अवधि के पश्चात वापस भेज दिया था ।

(4) पत्नियों को छोड़ दिया जाता है।

एनआरआई विवाह में महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं के प्रकार -

- पति अपनी पत्नी को उसके निवास वाले विदेशी देश में ले जाने से पूर्व ही यह वायदा करके छोड़ जाते हैं कि वह शीघ्र ही उसे बुला लेगें । अधिकांश मामलों में महिलाएं गर्भवती भी हो जाती हैं और वह तथा उसके बच्चे दोनों का परित्याग कर दिया जाता है और फिर कभी भी उसके पति द्वारा विदेश नहीं बुलाया जाता है ।

- महिला विदेश में अपने को अकेला पाती है और उसके साथ शारीरिक तथा मानसिक दुव्यर्वहार किया जाता है। उसके पति तथा /अथवा उसके सम्बन्धियों द्वारा उसे उचित भोजन नही दिया जाता, बन्दी बनाकर रखा जाता है तथा उससे दुव्यर्वहार किया जाता है ।
- महिला का दहेज के लिए उत्पीड़न भी किया जा सकता है ।
- महिला विदेशी धरती में पहुंचने पर यह पाती है कि उसे लेने कोई नहीं आया हुआ है और वह कहीं भी नहीं जा सकती । उसके पास बहत कम अथवा बिल्कुल भी पैसां नहीं होता। वापस जाने का भी कोई साधन नहीं होता और उसके पास एक निर्धारित अवधि के पश्चात विदेश में रहने के लिए कानूनी स्वीकृति भी नहीं होती ।
- महिला पाती है कि उसका पति पहले से ही विवाहित है अथवा किसी अन्य महिला के साथ उसका सम्बन्ध है अथवा वहाँ पर पहले से ही उसका परिवार है ।
- वह पाती है कि उसके पति ने अपनी, रोजगार, सम्पत्ति, वैवाहिक स्थिति और ऐसे अन्य भौतिक ब्यौरों की झूठी जानकारी दी थी।
- पति विदेश में उसके पीछे से एकल-पक्षीय तलाक आदेश प्राप्त कर लेता है और उसे उसके बच्चों की अभिरक्षा भी नहीं देता ।
- भारत में महिला को इस आधार पर भरण-पोषण दिए जाने से इन्कार किया जा सकता है कि उसके विवाह को किसी विदेशी न्यायालय द्वारा भंग किया गया है । उसे निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुददों के संबंध में अन्य कानूनी बाधाओं का भी सामना करना पड़ेगा जैसेकि क्षेत्राधिकार वाले मुददे, नोटिस जारी करना, आदेश आदि को लागू करवाना ।

माता-पिता/अभिभावक ध्यान दें -

- अपनी पुत्री का विवाह किसी अप्रवासी भारतीय से करने में जल्दबाजी **न करें** और किसी भी कारण से ऐसा करने के लिए दबाव में न आएं।

- टेलीफोन अथवा ई-मेल के माध्यम से लम्बी दूरी वाले मामलों को अन्तिम रूप **न दें** और एजेंट, ब्यूरो, दलालों अथवा बिचौलियों पर आंख मूंद कर भरोसा न करें ।
- नकली दस्तावेज बनाने पर सहमत **न हों** ।
- विवाह के माध्यम से किसी अन्य देश में प्रवास करने को समर्थ बनाने अथवा ग्रीन कार्ड हेतु वायदे की किसी योजना में **न फंसे** ।
- गुप्त रूप से विवाह को अन्तिम रूप **न दें**। शादी को सार्वजनिक करें ताकि अन्य व्यक्तियों से वर के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हों।
- केवल पंजीकृत विवाह अथवा किसी दूर-दराज के स्थान पर विवाह को अंतिम रूप देने के लिए सहमत **न हों** ।
- विदेश में विवाह करवाने के लिए सहमत **न हों** ।
- वर तथा उसके परिवार के संबंध में उसके नियोक्ता/ कार्यस्थल/ पास-पड़ोस से उचित जाँच करें विशेषकर उसकी वैवाहिक स्थिति, रोजगार ब्यौरे, आप्रवास की स्थिति, वित्तीय स्थिति, उसके द्वारा धारित संपत्तियों, आपराधिक पूर्व चरित्र, यदि कोई हो, और उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के संबंध में ।
- अप्रवासी भारतीय वर के कुछ आवश्यक दस्तावेजों जैसेकि पासपोर्ट अथवा वीजा, मतदाता अथवा विदेश पंजीकरण कार्ड, सोशल सिक्योरिटी नम्बर, पिछले तीन वर्षों हेतु कर रिटर्न, बैंक खाते के कागजात और सम्पत्ति के कागजातों की जाँच करें ।
- वधू को विदेश भेजते समय उसके पास महत्वपूर्ण सम्पर्क नम्बर होने चाहिए जैसेकि भारतीय राजदूतावास का, स्थानीय भारतीय संघों और भारतीय नागरिकों के नेटवर्क का, स्थानीय पुलिस तथा अन्य सपोर्ट एजेंसियों का ।
- विवाह को पंजीकृत करवाएं और वीजा जारी करने के लिए सभी कागजी कार्य और अन्य औपचारिकताओं को वधू के यहाँ करवाएं न कि

वर के यहाँ । अप्रवासी वर से उसकी वर्तमान वैवाहिक स्थिति को बताते हुए शपथ लेने वाला एक शपथनामा प्राप्त किए जाने का भी परामर्श दिया जाता है ।

- याद रखे कि वधू तथा वर का आपस में बातचीत करना और एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से मिलकर तथा आमने-सामने मुक्त रूप से तथा खुलकर जानना अत्यधिक महत्वपूर्ण है ।

अप्रवासी भारतीयों के विवाह से संबंधित महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय

- ***धनवन्ती जोशी बनाम माधव उन्डे (1998) 1 एससीसी 112***

इस मामले में अप्रवासी भारतीय पति पहले से ही किसी अन्य महिला के साथ विवाहित था और अपनी पहली पत्नी के जीवित रहते उसने दुबारा विवाह कर लिया था अर्थात धनवन्ती जोशी के साथ । इस विवाह से एक पुत्र उत्पन्न हुआ था और जब वह 35 दिन का था तो वह अपने पति को छोड़कर वापस भारत आ गई थी । बच्चे की अभिरक्षा पर निर्णय देते हुए उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि यद्यपि पति ने विदेश की किसी अदालत से बच्चे की अभिरक्षा हेतु आदेश प्राप्त कर लिया है फिर भी बच्चे की अभिरक्षा उसकी मां को देना ही उसके श्रेष्ठ हित में होगा और उस बच्चे को उसकी मां के साथ भारत में ही रहने की अनुमति प्रदान की गई थी जिसने अपने बच्चे को अकेले पाल-पोसकर बड़ा किया लेकिन उसके पिता को उससे मिलने का अधिकार सुरक्षित था ।

- ***नीरज सराफ बनाम जयंत सर्राफ (1994) 6 एससीसी 461***

इस मामले में पत्नी जोकि एक वरिष्ठ वायुसेना अधिकारी की पुत्री थी और एक अध्यापक के रूप में कार्य कर रही थी तथा 3000 रुपए का वेतन ले रही थी, उसका विवाह प्रतिवादी जे.सराफ से हुआ था ।

प्रतिवादी संख्या 1 कम्प्यूटर हार्डवेयर में एक डॉक्टरेट की उपाधि वाला था और अमेरिका में नियोजित था । विवाह 6 अगस्त 1989 को हुआ था और अपीलकर्ता को कुछ दिनों के लिए हनीमून हेतु गोवा ले जाया गया था । प्रतिवादी संख्या 1 24 अगस्त, 1989 को अमेरिका वापस लौट गया था, उसने

15 सितम्बर, 20 अक्तूबर तथा 14 नवम्बर, 1989 को अपीलकर्ता को पत्र लिखें और उसे अपना रोजगार छोड़ देने के लिए रजामन्द किया तथा अमेरिका में उसके करियर हेतु विभिन्न विकल्पों को सुझाया ।

अपीलकर्ता ने इस सब पर विश्वास करके वीजा हेतु प्रयास किया और अन्ततः नवम्बर 1989 से अपने रोजगार से त्याग पत्र दे दिया । दिसम्बर से स्थितियां बिगड़ने लगी । और जब अपीलकर्ता के पिता ने जनवरी, 1990 में प्रतिवादी-पति को अपनी पुत्री की पीड़ा के सम्बन्ध में लिखा तो उससे कोई अनुकूल प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ और जो 1990 में पति का भाई दिल्ली आया और उन्हें 2 लिफाफें सौंपे जिसमें से एक अमेरिका की एक अदालत में उनके विवाह के रद्दीकरण हेतु एक याचिका थी । अपने पति द्वारा छोड़ दी गई तथा अपना रोजगार खो चुकी पत्नी के पास पति तथा ससुर के विरूद्ध उसके जीवन को तबाह करने के लिए क्षतपूर्ति हेतु मुकदमा दायर करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था । इस मुकदमें में 22 लाख रुपए के लिए एक पक्षीय निर्णय दिया गया था ।

उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिए थे कि आदेश को लागू किया जाना स्थागित हो सकता है यदि प्रतिवादी उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार 1 लाख रुपए सहित 3 लाख रुपए की राशि को 2 माह के भीतर उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार के पास जमा करवा दें । अपीलकर्ता बिना किसी प्रतिभूति के 1 लाख रुपए निकालने की पात्र होगी । शेष 2 लाख रुपए को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा में जमा किया जाएगा। इस पर मिलने वाले ब्याज का भुगतान अपीलकर्ता को प्रतिमाह किया जाएगा । यदि कार्यवाही पर एक तर्कसंगत सीमा के भीतर निर्णय नहीं होता है तो अपीलकर्ता के लिए और राशि के आहरण हेतु आवेदन करने का विकल्प खुला है।